

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग २—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रार्थिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 154] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 24, 1982/बैशाख 4, 1904
NO. 154] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 24, 1982/BAISAKHA 4, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

भम मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1982

का० भा० 281(अ)—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अप्रैल, 1982 के 25वें दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 [धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है] के उपबन्ध गृहभरत राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् —

“जिला ग्रहमदाबाद, विश्रमनाम नगर की नगरपालिका सीमाओं तथा बिरामनाम नगर की राजस्व सीमाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र।”

[संख्या एस०-38013/10/82-एच० आई०]

ए० के० भट्टराई, धवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 24th April, 1982

S.O. 281(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 25th day of April, 1982 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Gujarat, namely :—

"The areas comprised within the Municipal limits of Virangam town and the revenue limits of Virangam town, District Ahmedabad."

[File No. S-38013/10/82-HI]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.